न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–पीयुष समारिया,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 103/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/436

प्रार्थी
धनेश पुत्र मिश्रीलाल आयु 36 साल जाति माली निवासी ताउसर बास जमासर तहसील व जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थी
राज्य जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेश रावल।
2. अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश **दिनांक–** 16-11-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन प्रकरण संख्या–97/14 मिश्रीलाल के कायम मुकामान बनाम तहसीलदार नागौर पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थी के पिता श्री मिश्रीलाल द्वारा एक म्यूटेशन अपील संख्या 97/14 दर्ज करवाई गई जिस में उसके पिता के बाद प्रार्थी व अन्य विधिक उत्तराधिकारी उन के स्थान पर प्रतिस्थापित अपीलार्थी पक्षकार है। प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 2.11.2022 को नियत है। उपरोक्त प्रकरण गत पेशी दिनांक 12.10.2022 मुकर्रर थी। उस दिन प्रार्थीगण अपीलार्थी के अधिवक्ता सिविल न्यायालय में अन्य प्रकरण की पैरवी में व्यस्त होने के कारण आवेदनकर्ता प्रार्थी स्वयं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेशी पर उपस्थित हुआ तथा स्वयं की उपस्थिति प्रस्तुत करते हुऐ पीठासीन अधिकारी से प्रकरण की पैरवी के दौरान यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता की खरीद सुदा कब्जा सुद भूमि के लिए भी अकारण प्रार्थीगण को लम्बे समय से संघर्ष करना पड़ रहा है तथा बिना रेकार्ड में सही इन्द्राज के व म्यूटेशन के प्रार्थीगण समय समय पर मिलने वाले राजकीय लाभों से काफी समय से वंचित रह रहे है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है तथा प्रकरण काफी समय से लम्बित है। अतः कृपया गुणावगुण के आधार पर इस निर्णय शीघ्र फरमाने हेतुनिवेदन किया।

उस समय पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी की बात सुन कर साफ शब्दो में कहा कि तुम्हारे मामले में कुछ भी नहीं है तुमको फालतू इस मामले को चला कर हमारा समय खराब कर रहे हो। तुम्हारा प्रकरण को शुरू से ही खारिज होने योग्य है। अब भले ही आज खारिज करे या कल इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम को इस कोर्ट से कोई फायदा मिलने की सोचना भी मत इस मामले को तो खारिज होना ही है।

पीठासीन अधिकारी की बात सुनते ही प्रार्थी को यह विश्वास हो गया कि पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में किसी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा हर सूरत में प्रार्थी को बिना न्याय दिऐ उसका

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रकरण खारिज करने का मानस बना लिया है तथा अब आगामी समय में कभी भी वह प्रकरण को बिना न्याय प्रदान किऐ हर सूरत में बिना गुणावगुण के अवलोकन किए बिना ही प्रकरण निरस्त करके रहेगें तथा ऐसी सूरत में प्रार्थी मिलने वाले न्याय से वंचित रह जायेगा।

उपरोक्त प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 658 दिनांक 7.6.93 का है जिस को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 5.5.95 में रदद करने की कोई आज्ञा पारित नहीं की थी फिर भी उक्त आदेश की आड में इस नामान्तरकरण को रदद कर दिया गया है, जो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होने के साथ साथ न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विपरीत भी है। अतः ऐसी सूरत में प्रार्थी को न्यायालय अति. कलेक्टर नागौर के न्यायालय से इस प्रकरण में न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है जिससे विवश हो कर प्रार्थी को यह आवेदन न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा है।

न्यायालय हाजा को उपरोक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करने का अधिकार है क्योंकि मूल प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की न्यायालय में विचाराधीन है जिस के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा को पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त होने का कथन करते हुए उपरोक्त प्रकरण को अविलम्ब तलब फरमाने की आज्ञा प्रदान करे तथा इस की सुनवाई स्वयं फरमावे अथवा विकल्प में किसी अन्य समकक्ष राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रकरण को सुनवाई हेतु स्थानान्तरण करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का पैरा संख्या 01 रेकर्ड के अनुसार सही होने से स्वीकार है। प्रार्थी के आवेदन पत्र का पैरा संख्या–2 मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की नामान्तरकरण अपील अभी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर के जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 02.11.22 को नियत है। अपीलांट धनेश ने दिनांक 12.10.22 को पेशी के दिन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पीठासीन अधिकारी से किसी भी प्रकार का निवेदन नहीं किया। प्रार्थी के आवेदन के पैरा संख्या–3 के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी धनेश दिनांक 12.10.22 को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय से मिला भी नहीं जिससे पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अपीलांट को कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे अपीलांट तथाकथित अभिवचन कर रहा है कि "हमारा समय खराब मत करो एवं तुम्हारा प्रकरण खारिज होने योग्य है" क्योंकि अपीलांट के प्रकरण में अभी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर द्वारा जवाब प्रस्तुत होने पर ही नियमानुसार बहस होनी निश्चित है। प्रार्थी के आवेदन का पैरा संख्या–4 में किये गये कथन मनगढंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के आवेदन का पैरा संख्या–5 रिकार्ड से संबंधित है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन प्रकरण संख्या–97 / 14 मिश्रीलाल के कायम मुकामान बनाम तहसीलदार नागौर पत्रावली को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय से इस प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होना जाहिर किया तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस प्रकरण को किसी भी न्यायालय में स्थानान्तकरण करने पर कोई आपत्ति होना जाहिर किया है। प्रकरण वर्ष 2014 से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन है। अतः प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन प्रकरण संख्या–97 / 14 मिश्रीलाल

कलक्टर नागौर

के कायम मुकामान बनाम तहसीलदार नागौर प्रकरण को आगामी विधिवत सुनवाई हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त प्रकरण संख्या–97 / 14 मिश्रीलाल के कायम मुकामान बनाम तहसीलदार नागौर प्रकरण की अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी के न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत कर प्रकरण के पक्षकारान को उक्त संबंध में सूचित कर, उक्त प्रकरण संख्या–97 / 14 की मूल पत्रावली शीघ्र अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामनसिटी को भिजवावें। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर एवं कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)